प्रेसनोट

पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक एवं फील्ड ऑफिसर द्वारा के.सी.सी.ऋण में 95,31,000/– रु0 का गबन, ईओडब्ल्यू द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध।

श्री आर0एल0जोनवार शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक बागचीनी मुरैना एवं श्री एस.के.जुत्शी मण्डल प्रमुख, अरेरा हिल्स भोपाल द्वारा कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लगभग 97 लाख रूपये के के.वाय.सी. ऋण निकाले जाने की शिकायत ईओडब्ल्यू में की गई थी।

जांच में पाया गया कि दिनांक 06.10.2007 से 21.03.2011 की अवधि के दौरान पंजाब नेशनल बैंक शाखा बागचीनी जिला मुरैना में पदस्थ शाखा प्रबंधक श्री अजय कुमार भट्ट एवं बैंक कृषि अधिकारी श्री कुनाल नाग एवं अन्य द्वारा 50 हितग्राहियों के के0सीसी खातों में कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 95, 31,000/–रुपए के0सी0सी0 ऋण दर्शाकर उक्त राशि को गबन किया गया है। 50 हितग्राहियों में 45 हितग्राहियों का अस्तित्व नहीं हैं और 5 हितग्राहियों का अस्तित्व में होना पाया गया है, जिनके द्वारा लोन लेने से इंकार किया गया है। आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने से उक्त आरोपियों के विरूद्ध धारा 420, 409, 467, 468, 120बी, भादवि एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 13(1)क सहपठित धारा 13(2) का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।